Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

मैसर्स वण्डर सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेडा बनाम **भैरूदास**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र** नं0 **035** सन् **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.09.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। वकील अप्रार्थी हाजिर नहीं। आवाज लगवाई गई। हाजिर नहीं। न्याय हित में सुनवाई का अवसर दिया जाता है। पूर्व में अधिवक्ता प्रार्थी ने दिनांक 30.08.2022 को प्रार्थना पत्र बाबत् कार्यवाही विड्रो किये जाने हेतु पेश किया जो शामिल पत्रालवी है। रिकार्ड पर लिया जाता है। हाजिर वकील प्रार्थी **अमित नाहर** ने आदेशिका पर **NOT PRESS** अंकित कर निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी कंपनी अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहती है, अतः प्रार्थना पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिलाया जावें। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस बाबत् कार्यवाही विड्रो को एकतरफा सुना गया। प्रार्थी कंपनी स्वयं अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहती है ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी के निवेदन को स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 89(02) एवं (04) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को विड्रोल में खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official -S/d- **(अरविन्द कुमार पोसवाल)** जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 20.09.2022	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजीयात जैरबहस में निहित हक–हिस्से अनुसार मुआवजा राशि अप्रार्थी संख्या 1 को दिलवाई जावें। अप्रार्थी संख्या 1 की और से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र शामिल पत्रावली है। प्रार्थना–पत्र रिकार्ड पर लिया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की प्रति अधिवक्ता प्रार्थी को दिलवाई गई। हाजिर अधिवक्ता प्रार्थी ने मुआवजा राशि का भुगतान अप्रार्थी संख्या 1 को कराये जाने की किसी भी प्रकार का उज्र नहीं होना जाहिर किया है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र का चिंतन–मनन किया। अप्रार्थी संख्या 1 न्यायालय हाजा द्वारा आराजीयात जैरबहस बाबत् निर्धारित मुआवजा राशि में से अपने हक–हिस्से अनुसार मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहता है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 को निर्धारित मुआवजा राशि में से अपने हक–हिस्से अनुसार मुआवजा राशि का भुगतान कराया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः तहसीलदार निम्बाहेडा से पत्रांक/राजस्व/2022/552 दिनांक 20.04.2022 से प्राप्त अप्रार्थी संख्या 1 नारायण पिता दल्ला जाति डांगी निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेडा के नाम पर जारी चैक संख्या 017114 दिनांक 12.01.2022 तादादी रूपये 5,74,695/– अक्षरे पांच लाख चौहत्तर हजार छः सौ पिचानवे मात्र का चैक तहसीलदार निम्बाहेडा को अप्रार्थी संख्या 1 नारायण पिता दल्ला जाति डांगी निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेडा को वास्ते भुगतान भिजवाये जाने का आदेश दिया जाता है, एवं हस्तगत प्रकरण में से अप्रार्थी संख्या 1 का नाम विलोपित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को तहरीर जारी करे। अप्रार्थी संख्या की तलबी लौट कर प्राप्त नहीं। पुनः अप्रार्थी संख्या 2 को सूचना–पत्र से सूचित किया जावें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक **<u>04.10.2022</u>** को पेश हो।	